तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	निगरानी/टी.ए./2470/2003/भरतपुर **श्रीचन्द बनाम मु. दुर्गी बेबा रोशन व अन्य**	
	एकल–पीठ **श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य** **उपस्थितः–** (1) श्री जे.के. पारीक अभिभाषक प्रार्थी। (2) श्री के.के.पुरोहित अभिभाषक अप्रार्थी **निर्णय दिनांक :** यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर भरतपुर के आदेश दिनांक 28–4–03 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। 2– आक्षेपित आदेश के द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत वाद को दिनांक 9–2–01 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया जिसको पुनः नम्बर पर लेने का प्रार्थना पत्र भी आक्षेपित आदेश के द्वारा खारिज किया गया है। 3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी। 4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी ने बाजदायरी के प्रार्थना पत्र में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित कर दिये थे जिसके आधार पर प्रार्थी का बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने येाग्य था। उनका तर्क है कि अभिभाषक की गलती के कारण पक्षकार को नुक्सान नहीं पहुंचाया जा सकता है तथा न्याय हित में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावे को पुनः नम्बर पर लिया जाना आवश्यक है।अतः उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाकर दावे को पुनः नम्बर लेने के आदेश प्रदान किये जावें। 5– बहस के जवाब में विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने निगराधीन आदेश को विधिसम्मत बताते हुये निगरानी खारिज करने का निवेदन किया और तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन रहा है। कानून सजग व्यक्ति की मदद करता है। वादी को अपने वाद के प्रति तत्पर रहना चाहिये था। 6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। 7– विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकारों के मध्य लम्बित वाद	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./2470/2003/भरतपुर</u>** **श्रीचन्द बनाम मु. दुर्गी बेबा रोशन व अन्य**	
	अधिनियम की धारा 88,89एवं 188 के अन्तर्गत है।प्रस्तुत वाद चल अचल सम्पति से सम्बन्धित था जिसमें पक्षकारों के हक अधिकारों का निर्णय होना था। इस प्रकार का वाद जिसमें चल अचल सम्पति का निर्धारण होना हो,तकनीकी कारण से निरस्त नहीं किया जाना चाहिये। वकील की गलती के लिये पक्षकार पीडित नहीं होना चाहिये। यदि वाद को पुनः नम्बर पर लेकर विधि अनुसार गुणावगुण पर निर्णित नहीं किया जाता है तो वादी को न्याय नहीं मिल पायेगा। इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है। 8– अतः निगरानी 500/–(रूपये पांच सौ)हर्जाने पर स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 9–2'01 एवं 28–4–03 निरस्त किया जाता है और वाद को पुनः नम्बर पर लेने के आदेश दिये जाते हैं। हर्जाने की राशि प्रार्थी अप्रार्थी पक्ष को विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित तारीख पेशी पर अदा करनी होगी। उभय पक्षकारान को विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक .....को उपस्थित रहने के लिये पाबन्द किया जाता है। विचारण न्यायालय के समक्ष वाद वर्ष 2001में दायर किया गया है जो काफी पुराना हो चुका है। इसलिये विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रकरण में दिन प्रतिदिन की तारीख पेशी नियत कर उभय पक्षकारान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर प्रकरण का अधिकतम तीन माह के अन्दर विधि अनुसार निस्तारण करें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(धूकलराम कसवाँ)** **सदस्य**	